संख्या-269/2020/515/22-2-2020-17(1061)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2020***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी जनपद-गुरूदासपुर, पंजाब की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5/दया0 बैठक 20-05-2020 दिनांक 15-06-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, ग्राम-फुलवरिया, थाना-पलिया, जनपद-खीरी वर्तमान पता ग्राम-कोटली सूरतमल्ली, थाना-कोटली सूरतमल्ली, जनपद-गुरूदासपुर, पंजाब का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 18/19.05.1999 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर नोकदार हथियार व गोलियों से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी तथा बदमाशों द्वारा जेवरात व नगदी लूट कर ले जाने की झूठी रिपोर्ट लिखाई गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-419/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,404 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 05.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2019 तक 13 वर्ष 09 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 10 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी तरसेम सिंह (बन्दी संख्या-16023) पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी जनपद-गुरूदासपुर, पंजाब की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-269/2020/515(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गुरूदासपुर, पंजाब।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in